अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 29 नवंबर, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अक्तूबर, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अक्तूबर, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक
29.11.2019

(आलोक कुमार वर्मा)

निदेशक (पी0 एण्ड सी0)

दूरभाष नं0 2307 1149

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

उपभोक्ता मामले विभाग के अक्तूबर, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. दालों तथा प्याज का बफर स्टॉक :-

1.1 दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) से पी.एस.एफ. में हस्तांतरण के जरिए 15.63 लाख मीट्रिक टन दालों के बफर स्टॉक का सृजन किया गया। दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, 57,299 मीट्रिक टन प्याज के बफर स्टॉक में से 20,965 मीट्रिक टन प्याज का निपटान कर दिया गया है जबकि शेष मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है/वजन कम हो गया है।

1.2 दालों के बफर से प्रतिपूर्ति और निपटान और संगत कीमतों पर उपलब्धता में सुधार के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को बफर से प्याज की रिलीज की निगरानी के लिए, अक्टूबर, 2019 माह के दौरान बफर के प्रबंधन के संबंध में दो साप्ताहिक पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

1.3 दिनांक 09.10.2019 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह सिफारिश की गई कि:

क) उपभोक्ता मामले विभाग, डीजीएफटी से समन्वय करके यह सुनिश्चित करे कि तूर की संविदात्मक मात्रा का आयात नियत तारीख अर्थात् 31.10.2019 तक पूरा कर लिया जाए।

ख) नेफेड यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करे कि दालों (विशेषकर तूर, मसूर और मूंग) का अधिदेशित बफर स्टॉक, या तो घरेलू खरीद अथवा आयात के माध्यम से तैयार कर लिया जाए।

ग) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और डीओपीटी, अन्य संगत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के समन्वय से विभिन्न आउटलेटों (सफल, केंद्रीय भंडार, राज्य सरकारी की एजेंसियों, पीडीएस आउटलेटों इत्यादि) के माध्यम से तूर दाल की पर्याप्त मात्रा में खुदरा बिक्री के लिए कदम उठाए जाएं ताकि खुदरा मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।

घ) नेफेड यह सुनिश्चित करे कि पिछले र्ष के पी.एस.एफ. बफर स्टॉक का विपणन केंद्रीय और राज्य एजेंसियों सहित पीडीएस आउटलेटों के माध्यम से किया जाए।

ङ) उपभोक्ता मामले विभाग को दालों और खाद्य तेलों के साथ-साथ प्याज की खुदरा कीमतों/उपलब्धता की नियमित निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम:

हाल ही में, दालों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों को दालों पर स्टॉक सीमा लगाने में सक्षम करने हेतु अपने सुझाव प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, राज्यों से राज्य और जिला स्तरों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) :-

3.1 माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 को **दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति** के संबंध एक बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय भौमजल बोर्ड, एफएसएसएआई आदि के प्रतिनिधियों के साथ पेयजल संबंधी भारतीय मानक अर्थात् आईएस 10500:2012 की मुख्य विशेषताएं साझा की गईं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक आईएस 10500:2012 के अनुसरण के लिए माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की ओर से दिनांक 11.10.2019 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक अ.शा. पत्र भेजा गया।

3.2 बी.आई.एस. (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) विनियम, 2019 को दांक 04.10.2019 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया। बी.आई.एस. (वैज्ञानिक संवर्ग में भर्ती) विनियम, 2019 के मसौदे को अनुमोदित कर दिया गया और विधायी विभाग द्वारा विधीक्षा की गई। इसे अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा।

4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

4.1 नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उपबंधों के बारे में सभी हितधारकों को सजग बनाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने आई.आई.पी.ए. के सहयोग से दिनांक 22.10.2019 को आई.आई.पी.ए. में एक जोनल कांफ्रेंस (उत्तरी जोन) का आयोजन किया।

4.2 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के मुख्य आयुक्त/आयुक्तों के पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया।

5. उपभोक्ता एप

माननीय मंत्री जी द्वारा दिनांक 01.10.2019 को एक उपभोक्ता एप का शुभारम्भ किया गया। यह एप एंड्रायड और आई.ओ.एस. प्लेटफार्म पर हिंदी और अंग्रेजी, दोनों, भाषाओं में उपलब्ध है। उपभोक्ता एप के माध्यम से कोई उपभोक्ता अपनी शिकायत/समस्या दर्ज करा सकता है और सुझाव भी दे सकता है। अक्टूबर माह में, 3020 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 2000 शिकायतों का निपटान कर दिया गया। इस एप का उद्देश्य 60 दिनों की अवधि के भीतर सुसंगत समाधान प्रदान करना है।

6. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ):

माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 12.09.2019 के आदेश के तहत एक अंतरिम बोर्ड गठित किया है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत सरकार के 2 सेवानिवृत्त सचिव शामिल हैं। इस अंतरिम बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 28.10.2019 को आयोजित की गई।

7. मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		सितम्बर, 2019 (अनन्तिम)	अगस्त 2019 (अनन्तिम)	सितम्बर, 2018 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक (वार्षिक)	0.33	1.08	5.22
2	थोक मूल्य सूचकांक (खाद्य वस्तुएं)	7.47	7.67	-0.21
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार)	6.98	6.31	5.61
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)*	3.99	3.28	3.70
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)*	5.11	2.99	0.51

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

8. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 111 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य जुलाई, माह की तुलना में सितम्बर, 2019 माह की तुलना में अक्टूबर, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 111 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य अगस्त, 2019 की तुलना में सितम्बर, 2019 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है -:

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

(रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	अक्टूबर, 2019 (अद्यतन)	सितम्बर, 2019 (अद्यतन)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	33	32	1
2	गेहूं	28	27	1
3	आटा	29	28	1
4	चना दाल	66	66	0
5	तूर दाल	87	86	1
6	उड़द दाल	78	75	3
7	मूंग दाल	85	83	2
8	मसूर दाल	63	63	0
9	चीनी	39	39	0
10	दूध	45	44	1
11	मूंगफली का तेल	134	131	3
12	सरसों का तेल	111	110	1
13	वनस्पति	80	80	0
14	सोया तेल	93	93	0
15	सूरजमुखी का तेल	101	101	0
16	पॉम ऑयल	76	76	0
17	गुड़	46	45	1
18	खुली चाय	215	214	1
19	पैकबंद नमक	15	15	0
20	आलू	21	19	2
21	प्याज़	47	38	9
22	टमाटर	39	31	8

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

शून्य

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :**ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
178	**157**

6. लोक शिकायतों की स्थिति :

अक्टूबर, 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**अक्टूबर, 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
1700	**754**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

अक्टूबर, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**अक्टूबर, 2019** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या
71,066	**43,243**

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 22 केन्द्रों से 111 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

*****